



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-240026
CG-DL-E-03112022-240026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 3, 2022/कार्तिक 12, 1944

No. 278]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 3, 2022/KARTIKA 12, 1944

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना वित्त सचिवालय)

(अवसंरचना सहायता एवं विकास प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2022

सं. 1/2/2021-पीपीपी.—सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, केंद्र सरकार ने पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता के लिए एक योजना अधिसूचित की है - 'आईआईपीडीएफ योजना' (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम) योजना।

बी. पुरुषार्थ, संयुक्त सचिव (आईएसडी)

आईआईपीडीएफ योजना

1 परिचय

1.1 अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर आधार पर उच्चतर विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का प्रावधान महत्वपूर्ण है। अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश को आगे बढ़ाते हुए, सरकार अवसंरचना परियोजनाओं में निजी निवेश के लिए एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा विकसित करने और साथ ही पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और विनियमन के माध्यम से पर्याप्त जांच और संतुलन रखने में सक्रिय रूप से लगी हुई है। नतीजतन, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन और संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। निजी पूंजी को आकर्षित करने

और अवसंरचना परियोजनाओं के एक बड़े शेल्फ को शुरू करने के लिए सार्वजनिक पूंजी का लाभ उठाने के अलावा, पीपीपी निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और लागत घटाने वाली प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ संचालन और रखरखाव में दक्षता के फायदे भी लाते हैं।

1.2 इस दिशा में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2007-08 के बजट भाषण में परियोजना तैयार करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 100 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक चल निधि की स्थापना करने की संसद में घोषणा की थी, तदनुसार, "भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि" (आईआईपीडीएफ) नामक कॉरपस कोष आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ बनाया गया था जो निजी क्षेत्र को दिए जा सकते हैं।

1.3 अवसंरचना भी आत्मनिर्भर भारत के स्तंभों में से एक है। इस प्रकार, राष्ट्र में तेजी से अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए, पीपीपी मोड पर शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की एक पाइपलाइन बनाने के लिए परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

1.4 इसलिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2022-23 के बजट भाषण में घोषणा की कि अवसंरचना की जरूरतों के वित्तपोषण के लिए, सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए निजी पूंजी द्वारा एक बड़े पैमाने पर पूरक करने की आवश्यकता होगी - "बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ पीपीपी सहित परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता उपायों को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएंगे। वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, वित्तपोषण के नवीन तरीकों और संतुलित जोखिम आवंटन को अपनाकर प्राप्त किया जाएगा"।

1.5 पीपीपी एक सतत विकसित होने वाली प्रक्रिया है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संबंध समय-समय पर बदलते रहते हैं। कई कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे हैं जिनका अवसंरचना में पीपीपी की सफलता पर असर पड़ता है और इसलिए उनके विकास के लिए सक्रिय योजना, नीति निर्माण और नियामक उपायों के माध्यम से समर्थन को शामिल करने वाले एक सक्षम पारिस्थितिकी-तंत्र की आवश्यकता होती है।

1.6 पीपीपी परियोजनाओं को लागू करने में शामिल लेनदेन जटिल और महत्वपूर्ण हैं। उच्च प्रारंभिक निवेश, रियायत अवधि के लिए सार्वजनिक आस्तियों का निजी क्षेत्र के भागीदार को हस्तांतरण, समावेशी विकास के उद्देश्यों के साथ वाणिज्यिक निजी हितों की अलग-अलग जरूरतों को संतुलित करने की आवश्यकता, परियोजना संरचना की अहमियत को रेखांकित करते हैं। परियोजनाओं को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, अक्सर, सरकारी व्यवहार्यता वित्त पोषण सहायता की भी आवश्यकता हो सकती है। अवसंरचना परियोजनाओं में निजी भागीदारी से आर्थिक रूप से इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए, निजी और सरकारी भागीदारों के बीच जोखिमों का उचित आवंटन और दोनों पक्षों को लाभ का संतुलन महत्वपूर्ण है। इस तरह की परियोजनाओं में राज्य पर पर्याप्त आकस्मिक देनदारी को देखते हुए, उचित परिश्रम भी आवश्यक है।

1.7 पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों (पीएसए) को कुशल, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से परियोजनाओं के आवंटन और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परियोजना दस्तावेज तैयार करने और लेनदेन को बंद करने के लिए विशेषज्ञ वित्तीय, कानूनी और तकनीकी सलाह की आवश्यकता है। लेनदेन सलाहकार "टीएज" (सलाहकारों) की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि पीपीपी परियोजना की सफलता एक अच्छी तरह से संरचित परियोजना पर निर्भर करती है, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। पीपीपी परियोजना के कार्यों में शामिल हैं-एक राजस्व मॉडल विकसित करना, व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर लागत अनुमानों की समीक्षा करना, बोली प्रक्रिया में प्रायोजक प्राधिकरण की सहायता करना और अंत में लेनदेन को सफलतापूर्वक बंद करना। सलाहकारों को सभी लागतों और राजस्व से संबंधित वित्तीय डेटा एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषित करने और एक कुशल और आर्थिक तरीके से परियोजना जोखिमों की पहचान और आवंटन में मदद करने की आवश्यकता होती है।

1.8 टीए का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सलाहकार पीएसए को स्पष्ट रूप से सरकार के संसाधनों पर परियोजना के वित्तीय प्रभाव के बारे में स्पष्ट रूप से समझाते हैं- प्रत्यक्ष और आकस्मिक- और परियोजना के वित्तपोषण और संचालन के लिए इष्टतम संरचना बोलीदाताओं के साथ बैठकों और सम्मेलनों में भाग लेने के अलावा और समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विविध वाणिज्यिक मुद्दों को हल करने में पीएसए को सलाह देना और सहायता करना है।

1.9 लेनदेन सलाहकारों की प्रापण लागतें महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण के सीमित बजट पर बोझ डालती हैं।

1.10 तदनुसार, मौजूदा भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) की विशेषताएं बढ़ी हैं और वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इस निधि का पुनर्गठन किया गया है।

2. आईआईपीडीएफ का प्रयोजन

2.1 आर्थिक कार्य विभाग (आर्थिक कार्य विभाग) ने आईआईपीडीएफ योजना को एक तंत्र के रूप में पहचाना है जिसके माध्यम से परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण पीपीपी लेनदेन लागतों को कवर करने के लिए वित्त पोषण प्राप्त करने में सक्षम होगा, जिससे उनके बजट पर टीए की खरीद से संबंधित लागतों के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। भारत सरकार के दृष्टिकोण से, आईआईपीडीएफ योजना पीपीपी परियोजनाओं की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि करेगी जो केंद्र या राज्यों की परियोजना पाइपलाइन के माध्यम से संसाधित की जाती हैं।

2.2 आईआईपीडीएफ योजना के तहत परियोजना विकास लागत को पूरा करने के प्रयोजनार्थ पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को वित्त पोषण उपलब्ध है जिसमें व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन, वित्तीय संरचना, कानूनी संरचना के संबंध में परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा किए गए खर्च शामिल हो सकते हैं। परियोजना प्रलेखन की समीक्षा और विकास, जिसमें रियायत समझौता, वाणिज्यिक मूल्यांकन अध्ययन (यातायात अध्ययन, मांग मूल्यांकन, मूल्यांकन भुगतान करने की क्षमता सहित), परियोजनाओं की ग्रेडिंग आदि शामिल हैं, जो व्यक्तिगत या टर्नकी आधार पर ऐसी परियोजनाओं के तकनीकी समापन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, लेकिन परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों पर किए गए खर्च शामिल नहीं हैं। किसी पीपीपी परियोजना पर सलाहकारों और लेनदेन सलाहकारों की लागत को वित्तपोषित करने के लिए आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण का लाभ उठाया जा सकता है।

3. आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण

3.1 आईआईपीडीएफ योजना के तहत एक एकल प्रस्ताव (परियोजना टीए/सेमिनार/कार्यशाला/ व्यावसायिक सेवा व्यय, आदि) के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये की धनराशि हो सकती है। इस निधियन में उस पर किसी भी तरह का कर शामिल होगा और आईआईपीडीएफ योजना के तहत निधियन की कुल राशि, कर सहित, यदि कोई हो, 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। 5 करोड़ रुपये से अधिक की कोई भी आवश्यकता परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा ही वहन की जाए।

3.2 आईआईपीडीएफ योजना के तहत, पीपीपी परियोजना के सलाहकारों/लेनदेन सलाहकारों की लागत को वित्तपोषित किया जा सकता है, जहां सलाहकारों/टीए को खरीद की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से नियुक्त किया जाता है जिसमें आर्थिक कार्य विभाग के पैनल में शामिल टीए की सूची या अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार या नामांकन के आधार पर, लागू जीएफआर नियमों के अनुसार किसी के पैनल में शामिल टीए की सूची शामिल है। लेकिन इसमें परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों पर किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।

3.3 इसके अतिरिक्त, पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित किसी भी संगोष्ठी/कार्यशाला/इन्फ्रा टेक चैलेंज आदि के लिए किए गए खर्च को भी आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषित किया जा सकता है। इसके अलावा, आर्थिक कार्य विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने सहित पेशेवर सेवाओं के विशिष्ट कार्यों के लिए सलाहकारों/टीए को नियुक्त करने के लिए आईआईपीडीएफ योजना के तहत धन का उपयोग भी कर सकता है। वार्षिक बजट का अधिकतम 20% और साथ ही योजना के लिए कुल आवंटन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किया गया है।

3.4 यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि आईआईपीडीएफ योजना के तहत इस तरह के सभी वित्त पोषण के परिणामस्वरूप एक सफल पीपीपी परियोजना नहीं हो सकती है क्योंकि पीपीपी परियोजना की सफलता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इसलिए, आईआईपीडीएफ योजना के तहत धन की वसूली नहीं की जाएगी। हालांकि, दिशानिर्देश पीएसए को आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने से रोकने के लिए एक तंत्र प्रदान करेंगे और इसका उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे या बिना ठोस कारणों के पीपीपी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

4. आईआईपीडीएफ की संगठनात्मक संरचना - अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी

4.1 आईआईपीडीएफ योजना अनुमोदन समिति (एसी) द्वारा प्रशासित की जाएगी। अनुमोदन समिति की संरचना इस प्रकार है:

- संयुक्त सचिव आईएसडी, आर्थिक कार्य विभाग - अध्यक्ष
- नीति आयोग के प्रतिनिधि,
- उप सचिव/निदेशक (पीआईयू), आर्थिक कार्य विभाग - सदस्य सचिव

4.2 अनुमोदन समिति आईआईपीडीएफ योजना से वित्तपोषण पर विचार करेगी और अनुमोदित करेगी जैसा कि पैरा 3 पूर्व में विस्तार से वर्णित है।

4.3 आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार की निजी निवेश इकाई (पीआईयू) आईआईपीडीएफ योजना के तहत सहायता के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए अनुमोदन समिति को सहायता कार्य प्रदान करेगी।

5. सलाहकारों/टीए की नियुक्ति

5.1 सलाहकारों/टीए की नियुक्ति पीएसए द्वारा प्रापण की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से की जाएगी, जिसमें आर्थिक कार्य विभाग के पैनल में शामिल टीए की सूची से या किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार लागू जीएफआर के अनुसार के पैनल में शामिल टीए की सूची से या नामांकन के आधार पर शामिल हैं।

6. आईआईपीडीएफ योजना के तहत संवितरण

6.1 एक बार जब प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्त पोषण के लिए अनुमोदित कर दिया जाता है, तो समय-समय पर संवितरण को संयुक्त सचिव, आईएसडी के स्तर पर अनुमोदित किया जाएगा।

6.2 सलाहकार/टीए की लागत का संवितरण पीएसए से प्राप्त अनुरोध पर टीए को आगे भेजने के अनुरोध पर किया जाएगा, जो निम्नानुसार हासिल की गई उपलब्धि (माइल-स्टोन) के आधार पर होगा:

भुगतान मानक (माइल-स्टोन)	आईआईपीडीएफ योजना के तहत अनुमोदित समग्र वित्त पोषण या 5 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अधीन टीए बोली राशि के प्रतिशत के रूप में भुगतान
पीएसए को प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना	10%
पीएसए को व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करना	10%
पीएसए को डीपीआर प्रस्तुत करना	15%
पीएसए द्वारा आरएफपी का फ्लोटिंग	15%
पीएसए द्वारा बोली मूल्यांकन चरण को पूरा करना और एलओए जारी करना	25%
रियायत समझौते पर हस्ताक्षर और टीए के पोर्टल के सभी संगत दस्तावेजों को अपलोड करना (यदि टीए पैनल में शामिल है) – तकनीकी समापन	25%
अतिरिक्त प्रोत्साहन, यदि परियोजना मूल रूप से अनुदान घटक के साथ योजनाबद्ध थी, लेकिन प्रीमियम के साथ तकनीकी समापन (रियायत समझौते पर हस्ताक्षर) प्राप्त किया। संवितरण राशि वितरण के अंतिम चरण के साथ किया जाएगा।	5%

6.3 अनुमोदन समिति परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर उपरोक्त में भिन्नता में वितरण मानक (माइल-स्टोन) पर विचार कर सकती है।

6.4 आगे / क्रमिक चरणों के लिए संवितरण पीएसए द्वारा पिछले संवितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

6.5 यदि किसी कारण से, पीपीपीपी प्रापण प्रक्रिया के किसी भी चरण में परियोजना को समाप्त कर दिया जाता है, तो संवितरण केवल हासिल की गई उपलब्धि (माइल-सटोन) तक ही किया जाएगा और आगे कोई संवितरण नहीं किया जाएगा।

7. दिशानिर्देश या आईआईपीडीएफ योजना

7.1 आर्थिक कार्य विभाग समय-समय पर आईआईपीडीएफ योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करेगा।

8. योजना और दिशानिर्देशों में संशोधन

8.1 अनुमोदन समिति की सिफारिशों पर सचिव, आर्थिक कार्य के अनुमोदन से आईआईपीडीएफ की योजना और दिशानिर्देशों में संशोधन किया जा सकता है।

भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) योजना के लिए दिशानिर्देश

1. प्रयोज्यता

1.1 केंद्र सरकार ने आईआईपीडीएफ योजना अधिसूचित की है। इन दिशानिर्देशों को आईआईपीडीएफ योजना के साथ पढ़ा जाना है।

1.2 केंद्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के निरूपण, मूल्यांकन और अनुशंसा के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए पीपीपी की परिभाषा के तहत कवर की गई किसी भी परियोजना के लिए परियोजना विकास व्यय (पीडीई) को आईआईपीडीएफ के तहत वित्त पोषण के लिए रखा जा सकता है।

1.3 परियोजना प्रस्ताव केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई), सांविधिक प्राधिकरणों या उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जिन्हें इसके बाद परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण या पीएसए कहा जाएगा।

1.4 परियोजना प्रस्ताव समय-समय पर आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित वीजीएफ योजना के अंतर्गत आने वाले अवसंरचना उप क्षेत्रों और क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र से हो सकता है।

1.5 परियोजना प्रस्ताव टीए की नियुक्ति के किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. परिभाषाएं

2.1. **पीडीई** - परियोजना विकास व्यय में पीएसए द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन, पर्यावरण प्रभाव अध्ययन, वित्तीय संरचना, कानूनी समीक्षा और परियोजना प्रलेखन के विकास के संबंध में किए गए खर्च शामिल हो सकते हैं, जिसमें रियायत समझौता, वाणिज्यिक मूल्यांकन अध्ययन (यातायात अध्ययन, मांग मूल्यांकन, मूल्यांकन की भुगतान क्षमता सहित) शामिल हैं, व्यक्तिगत या टर्नकी आधार पर, ऐसी परियोजनाओं के तकनीकी समापन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परियोजनाओं की ग्रेडिंग आदि), लेकिन इसमें पीएसए द्वारा अपने स्वयं के कर्मचारियों पर किए गए खर्च शामिल नहीं होंगे।

2.2. **लेन-देन सलाहकार** - परियोजना को डिजाइन करने और/या परियोजना डिजाइन के लिए तकनीकी, वित्तीय और कानूनी इनपुट प्रदान करने और पीपीपी परियोजना के लिए निजी क्षेत्र के भागीदार प्रापण की प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए सलाह प्रदान करने में सहायता करने के लिए प्रायोजक अधिकारियों द्वारा प्रापण की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। इनमें आर्थिक कार्य विभाग के लेनदेन सलाहकारों के पैनल से या किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार के पैनल में शामिल टीए की सूची से या लागू जीएफआर के अनुसार नामांकन के आधार पर चयनित लेनदेन सलाहकार भी शामिल हैं।

2.3 किसी भी योजना/बोली दस्तावेज/कानून/विनियम या इन दिशानिर्देशों में अन्यथा परिभाषित किए गए के सिवाय इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों का सामान्य अर्थ होगा, जो केंद्रीय क्षेत्र की सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के निर्माण, मूल्यांकन और अनुशंसा के लिए दिशानिर्देशों के हिस्से के रूप में दी गई 'परिभाषाओं' में दिया गया है।

3. संस्थागत संरचना

आईआईपीडीएफ योजना के संचालन के लिए संस्थागत संरचना आईआईपीडीएफ योजना में निर्धारित अनुमोदन समिति (अनुमोदन समिति) होगी। अनुमोदन समिति अपनी प्रक्रिया को परिभाषित कर सकती है और साथ ही

योजना के तहत वित्त पोषण के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी प्रारूप आदि को अनुमोदित कर सकती है।

4. पीडीई के वित्तपोषण के लिए एक परियोजना प्रस्ताव के अनिवार्य घटक

4.1. पीपीपी परियोजना के लिए परामर्शदाताओं/लेन-देन सलाहकारों की लागत (पीडीई) को पूरा करने के लिए फंडिंग का उपयोग किया जाता है।

4.2. पीपीपी परियोजना के रूप में परियोजना की पात्रता के संबंध में अनुमोदन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

4.3. टीए को पीएसए द्वारा प्रबंधन की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा, जिसमें आ.का.वि. के पैनल में शामिल टीए की सूची से या किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग या राज्य सरकार के पैनल में शामिल टीए की सूची से या नामांकन के आधार पर लागू जीएफआर के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

4.4. आ.का.वि. के पास आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण के माध्यम से विकसित परियोजना दस्तावेजों के उपयोग के सभी अधिकार होंगे।

5. परियोजना पहचान और टीएस की ऑनबोर्डिंग

5.1 परियोजना की पहचान और लागत की तार्किकता सुनिश्चित करने सहित परामर्शदाताओं/लेनदेन सलाहकारों के बोर्डिंग की जिम्मेदारी पीएसए की है।

6. आईआईपीडीएफ तंत्र और अनुमोदन समिति (अनुमोदन समिति) द्वारा वित्त पोषण की स्वीकृति

6.1 परियोजना का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करना पीएसए की जिम्मेदारी है। आईआईपीडीएफ योजना से परियोजना विकास निधि प्राप्त करने के लिए, पीएसए विचारार्थ ज्ञापन (इन दिशानिर्देशों के अनुबंध-I) के माध्यम से डीईए में अनुमोदन समिति (अनुमोदन समिति) पर लागू होगा। अनुबंध-II केवल पीएसए को पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

6.2 आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण की मांग करने वाले प्रस्तावों पर अनुमोदन समिति द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाएगा।

6.3 आ.का.वि. में पीआईयू, अनुमोदन समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा और परियोजना प्रस्ताव की प्राप्ति के 1 महीने के भीतर परियोजना प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अनुमोदन समिति की बैठक बुलाएगा।

6.4 अनुमोदन समिति या तो सशर्त या बिना किसी शर्त के वित्त पोषण के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकता है या पीएसए को संशोधन करने के लिए कह सकता है और अनुमोदन समिति के विचार के लिए प्रस्ताव को फिर से जमा कर सकता है।

6.5 सभी मामलों में, परियोजना विकास व्यय को निधि देने या न देने का निर्णय अनुमोदन समिति के विवेक पर होगा।

6.6 आईआईपीडीएफ के तहत एकल परियोजना प्रस्ताव (परियोजना टीए) के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक का वित्तपोषण होगा। 5 करोड़ रुपये से अधिक की कोई भी आवश्यकता पीएसए द्वारा ही देखा जा सकता है।

6.6.1 यदि लेनदेन सलाहकार एक खुली प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से, या आ.का.वि. के पैनल में शामिल लेनदेन सलाहकार की सूची के माध्यम से या किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के पैनल में शामिल लेनदेन सलाहकार की सूची के माध्यम से शामिल है, तो आईआईपीडीएफ के तहत वित्तपोषण 5 करोड़ रुपये की सीमा के अध्वधीन लेनदेन सलाहकार की पूरी लागतें तक होगा।

6.6.2 यदि लेनदेन सलाहकार पीएसए विशिष्ट नियमों और विनियमों और लागू जीएफआर के अनुसार पीएसए द्वारा नामांकन के आधार पर लेनदेन सलाहकार का चयन किया जाता है, तो फंडिंग कुल लेनदेन सलाहकार लागत का 50% या रु.5 करोड़ तक, जो भी कम हो, होगी।

- 6.7 क्या परियोजना के विकास व्ययों का वित्त पोषण एक-एक अंश (पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, आरएफपी तैयार करने और अस्थायी, आदि के स्तरों के लिए अलग-अलग) में या एक बार में किया जाना है, इस योजना के तहत एकल परियोजना के लिए वित्तपोषण की कुल मात्रा 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।
- 6.8 पीएसए इस योजना के तहत परियोजना की जटिलता और आकार पर विचार करते हुए पीडीई के वित्त पोषण की मांग करेगा। पीएसए हमेशा उचित सीमा के भीतर पीडीई के वित्तपोषण की मांग को सीमित करेगा।
- 6.9. पीडीई की अंतिम रिलीज अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित वित्तपोषण या बोली के माध्यम से निर्धारित वास्तविक पीडीई लागत या 5 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, के अधीन होगी।

7. आईआईपीडीएफ से अन्य अनुदान

- 7.1 अवसंरचना में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, सेमिनारों का आयोजन, पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं, बुनियादी तकनीकी चुनौतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना प्रस्तावों का वित्तपोषण, आदि, इस योजना के तहत उपलब्ध धन के माध्यम से मामला-दर-मामला आधार पर किया जा सकता है।
- 7.2 इसके अलावा, आ.का.वि. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने सहित पेशेवर सेवाओं के विशिष्ट असाइनमेंट के लिए परामर्शदाताओं/टीए को नियुक्त करने के लिए आईआईपीडीएफ योजना के तहत धन का उपयोग भी कर सकता है।
- 7.3 वित्तपोषण एक बार के लिए संगोष्ठी/कार्यशाला/पेशेवर सेवाओं के खर्च आदि के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये होगा।
- 7.4 वार्षिक बजट का अधिकतम 20% और साथ ही योजना के कुल परिव्यय का 20% ऐसे प्रशिक्षणों/सेमिनार/कार्यशाला/पेशेवर सेवा व्यय आदि के लिए निर्धारित किया गया है।
- 7.5 ऐसी सभी निधियों का अनुमोदन अनुमोदन समिति के स्तर पर किया जाएगा।

8. आईआईपीडीएफ के तहत संवितरण

- 8.1 पीएसए द्वारा एक आवेदन को अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद आईआईपीडीएफ वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और फंडिंग की मिसाल के रूप में शर्तों को पूरा किया गया है।
- 8.2 अनुमोदित वित्त पोषण संयुक्त सचिव, आईएसडी के अनुमोदन से जारी किया जाएगा।
- 8.3 पीडीई (टीए लागत) पीएसए द्वारा निर्धारित प्रारूप (अनुबंध- III) में योजना में परिभाषित उपलब्धियों के अनुसार या अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित के रूप में, जैसा मामला हो, पीएसए द्वारा धन जारी करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने पर वितरित किया जाएगा।
- 8.4 आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण का प्रस्ताव परियोजना विकास के किसी भी स्तर पर पीएसए द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि, पीएसए द्वारा पहले से ही वहन की गई लागतों का कोई पूर्वव्यापी वित्तपोषण नहीं होगा।
- 8.5 यदि टीए के आरंभ होने से पहले वित्तपोषण की मांग की जाती है, तो अनुमोदन समिति निम्नलिखित के अधीन वित्तपोषण को मंजूरी देगा:
 - 8.5.1 वित्त पोषण अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अनुमानित लागत या पारदर्शी तंत्र के माध्यम से पायी गई वास्तविक लागत या 5 करोड़ रु., जो भी कम हो, के अधीन दिया जाएगा।
 - 8.5.2 यदि पीएसए नकारात्मक पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के कारण परियोजना को रोकने का निर्णय लेता है, तो अनुमोदित टीए लागत का केवल पूर्व-व्यवहार्यता लागत-घटक, यदि कोई हो, संवितरित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, पूर्व-व्यवहार्यता लागत-घटक, यदि कोई हो, के अलावा कोई और संवितरण नहीं किया जाएगा।
- 8.6 यदि टीए की आरंभ होने के बाद किसी भी स्तर पर वित्तपोषण की मांग की जाती है, तो पहले से हासिल की गई और हासिल की जाने वाली परियोजना के अनुसार, जैसा कि अनुमोदन समिति द्वारा तय किया गया है, ऊपर 8.4 के अधीन संवितरण शुरू होगा।

- 8.7 इस योजना के तहत स्वीकृत वित्त पोषण के 5% का अतिरिक्त प्रोत्साहन, पीएसए को टीए को आगे सौंपने के लिए भुगतान किया जाएगा यदि मूल रूप से अनुदान घटक के साथ परियोजना की योजना बनाई गई थी लेकिन प्रीमियम के साथ तकनीकी रूप से हासिल की गई थी। यह संवितरण के अंतिम चरण के साथ संवितरित किया जाएगा।
- 8.8 पीएसए द्वारा सलाहकार/टीए को राशि जारी करने को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने वाले पिछले संवितरण का उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आगे/क्रमिक स्तरों के लिए संवितरण किया जाएगा। अंतिम संवितरण के लिए, पीएसए को उसी तरह से उपयोगिता प्रमाण पत्र को तुरंत जमा करने की आवश्यकता है।
- 8.9 योजना के तहत संवितरण तंत्र भारत सरकार के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन में होगा।
- 8.10 यदि आवश्यकता होती है, तो अनुमोदन समिति द्वारा निर्धारित किए जाने वाले उपयुक्त फॉर्मूले के आधार पर वित्त पोषण प्रदान किया जा सकता है, जो कि सभी क्षेत्रों और स्थानों की आवश्यकता को इस तरह से संतुलित करता है, जो क्षेत्रीय और स्थानीय कवरेज को व्यापक आधार प्रदान करेगा और कुछ बड़ी परियोजनाओं द्वारा धन की प्रीमेप्टिंग से बच जाएगा।
- 8.11 यदि किसी कारण से, पीपीपीपी खरीद प्रक्रिया के किसी भी चरण में परियोजना को समाप्त कर दिया जाता है, तो संवितरण केवल प्राप्त की गई उपलब्धियों तक ही किया जाएगा और आगे कोई संवितरण नहीं किया जाएगा।
- 8.12 यह पीएसए की जिम्मेदारी होगी कि वह टीए को समय पर धनराशि जारी करे। पीएसए और टीए के बीच किसी भी विवाद के लिए आ.का.वि. जिम्मेदार/पार्टी नहीं होगा।

9. परियोजना विकास व्यय निधिकरण की प्रकृति

- 9.1 परियोजना विकास निधि सहायता अनुदान के रूप में होगी और इसकी वसूली नहीं की जाएगी।
- 9.2 आईआईपीडीएफ के माध्यम से वित्त पोषण की राशि परियोजना की कुल परियोजना लागत का हिस्सा नहीं होगी, अर्थात् इसे परियोजना के सफल बोलीदाता (रियायतीग्राही) से वसूल नहीं किया जाएगा।
- 9.3 हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएसए इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के बाद, बिना किसी ठोस कारण के पीपीपी की प्रक्रिया को मनमाने ढंग से समाप्त नहीं करते हैं, निम्नलिखित तंत्र स्थापित किया गया है:
 - 9.3.1 एक पीएसए को आईआईपीडीएफ योजना के तहत आगे के वित्त पोषण तक पहुंच नहीं हो सकती है यदि:
 - 9.3.1.1 अनुकूल/उत्साहजनक व्यवहार्यता अध्ययन के बावजूद पीपीपी परियोजना प्रक्रिया को आगे जारी नहीं रखा गया है।
 - 9.3.1.2 आरएफपी जारी करने और बाजार प्रतिक्रिया और वैध बोलियां प्राप्त करने के बाद बोली समाप्त नहीं की जाती है/ एलओए जारी नहीं किया जाता है,
 - 9.3.1.3 रियायत समझौता पत्र जारी होने के बाद भी निष्पादित नहीं किया जाता है,
 - 9.3.2 इसके अलावा, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय मंत्रालय/विभाग के किसी भी पीएसए के आईआईपीडीएफ के तहत वित्त पोषण के लिए अपात्र होने के कुल तीन मामलों के प्रकरणों में, ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और इसके सभी पीएसए आईआईपीडीएफ योजना के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए वित्त पोषण लेने के लिए अपात्र हो जाएंगे।

10. निगरानी

- 10.1 पीएसए परियोजना के विकास की नियमित निगरानी और एमएफसी में प्रतिबद्ध और अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित उपलब्धियों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।
- 10.2 पीएसए अंततः जीएफआर की उचित प्रक्रिया और उनके वित्तीय नियमों और पूरी प्रक्रिया के लिए किसी भी अन्य वैधानिक या नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन और वित्तीय औचित्य सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। टीए की लागत की खोज लागू जीएफआर के अनुसार पीएसए की जिम्मेदारी होगी।

10.3 पीएसए को उपयुक्त वेबसाइट पर परियोजना विशिष्ट डेटा को अद्यतन करने की भी आवश्यकता हो सकती है जैसा कि आ.का.वि. द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाता है।

11. दिशानिर्देशों में छूट

11.1 अनुमोदन समिति पीएसए से प्राप्त विशिष्ट अनुरोधों और मामले के गुण-दोष के आधार पर परियोजना विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर मामला दर मामला आधार पर इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान में ढील दे सकता है।

अनुबंध - I

विचारात्मक ज्ञापन (एमएफसी#) आवेदन पत्र (आईआईपीडीएफ योजना के लिए दिशानिर्देशों के तहत)

क्र.सं.	विवरण	प्रतिक्रिया
I.	परियोजना का नाम	
II.	सहायता का उद्देश्य (टीए/सलाहकार/पीपीपी प्रकोष्ठ आदि)	
III.	एनआईपी आईडी	
IV.	क्षेत्र*	
V.	परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण	
VI.	स्थान/(राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिला/कस्बा)	
VII.	परियोजना की आवश्यकता	
VIII.	संक्षिप्त परियोजना विवरण	
IX.	परियोजना कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित पीपीपी संरचना [§] : बीओटी (और इसके प्रकार) वार्षिकी (और इसके प्रकार), ओएमडीए (और इसके प्रकार), लीज मैनेजमेंट, इनविट आदि.	
X.	समय सीमा और भुगतान प्रतिशत के साथ टीए के लिए प्रस्तावित उपलब्धियाँ (यदि आईआईपीडीएफ योजना में दिए गए उपलब्धियों के विचलन में)	
XI.	परियोजना के संभावित प्रभाव(प्रभाव):	
XII.	कुल अनुमानित परियोजना विकास व्यय/वास्तविक टीए लागत (यदि टीए पहले से ही उपलब्ध है)	
XIII.	अनुमानित/वास्तविक लागत के घटक	
XIV.	आईआईपीडीएफ में मांगा गया योगदान	
XV.	संलग्न 1. पूर्व-व्यवहार्यता विवरण (यदि कोई हो) 2. यदि टीए पहले से ही उपलब्ध (ऑनबोर्ड) है तो आवेदन के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है: क. चाहे खुले बाजार के माध्यम से या पैनल में शामिल टीए के माध्यम से या नामांकन आधार आदि के माध्यम से उपलब्ध (ऑनबोर्ड) कराया है। ख. टीए नियुक्ति के टीओआर की प्रति। टीए के साथ समझौते की प्रति। ग. हासिल की गई उपलब्धियों का पूरा विवरण। घ. पीएसए से प्रमाण पत्र कि उसने अपने लागू जीएफआर के अनुसार टीए को	

क्र.सं.	विवरण	प्रतिक्रिया
	उपलब्ध (ऑनबोर्ड) कराया है। 3. कोई भी अन्य	
XVI.	पिछले टीए का परिणाम, यदि आ.का.वि द्वारा वित्त पोषित है	

* क्षेत्र और उप-क्षेत्र समय-समय पर आ.का.वि. द्वारा अधिसूचित अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची के अनुसार होना चाहिए।

\$ यह सूची विस्तृत नहीं है और पीपीपी परियोजना कार्यान्वयन के किसी अन्य तरीके पर अनुमोदन समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।

पीएसए स्पष्ट रूप से इंगित कर सकता है कि क्या प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पीएसए के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

अनुबंध- II

प्रारंभिक/पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट की विषय-वस्तु की सांकेतिक तालिका

(प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है - केवल दिशानिर्देशन उद्देश्य के लिए)

1. परिचय
2. मौजूदा परियोजना परिदृश्य (पुनर्वास, उन्नयन, सुधार और/या वृद्धिशील निवेश की आवश्यकता सहित - परियोजना की आवश्यकता को प्रकाशित करने के लिए)
3. परियोजना प्रस्ताव (व्यापक परियोजना अवधारणा और घटकों, ब्लॉक लागत अनुमानों, राजस्व ढांचों आदि को सम्मिलित करना)
4. प्रारंभिक परियोजना मूल्यांकन
 - 4.1 तकनीकी व्यवहार्यता
 - 4.2 पर्यावरण और सामाजिक स्वीकार्यता
 - 4.3 वित्तीय और वाणिज्यिक व्यवहार्यता
 - 4.4 कानूनी ढांचा
 - 4.5 जोखिम (विकास, निर्माण और संचालन/कार्यान्वयन के दौरान)
 - 4.6 संविदात्मक और कार्यान्वयन संरचनाएं।
5. परियोजना विकास कार्यकलाप
 - 5.1 परियोजना विकास चक्र
 - 5.2 समय रेखाएँ
 - 5.3 समीक्षाएँ और जांच
 - 5.4 तकनीकी/पर्यावरण और सामाजिक/वित्तीय/ विधिक परामर्शदाता, इनके काम का दायरा
 - 5.5 लेनदेन सलाहकार, इनके काम का दायरा
 - 5.6 विपणन
 - 5.7 खरीद प्रक्रिया
 - 5.8 अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)

6. परियोजना विकास के लिए वित्तपोषण आवश्यकताएँ
 - 6.1 परियोजना विकास व्यय के लिए बजट
 - 6.2 कमी [ड्रॉडाउन] (सांकेतिक त्रैमासिक बजट और प्रत्येक कार्यकलाप के लिए अनुमानित उपलब्धि से जुड़े हुए भुगतान)
7. सिफारिशें, यदि कोई हो।

अनुबंध – III

आईआईपीडीएफ योजना के अंतर्गत पीएसए को निधियां जारी करने के लिए परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण से अनुरोध का प्रारूप

दिनांक

पीएसए का नाम

पता

प्रिय श्री,

1. कृपया दिनांक..... के अपने पत्र संख्या..... का संदर्भ लें जिसमें भारतीय अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) योजना के अंतर्गत अनुमोदन समिति ने अपनी बैठक संख्या..... दिनांक..... में (सेक्टर, अवस्थिति जैसे परियोजना का ब्यौरा, संक्षिप्त विवरण जैसे क्षेत्रफल/क्षमता इत्यादि दें) अवस्थित परियोजना हेतु (पीएसए का नाम) के लिए रुपये..... के परियोजना विकास व्यय की मंजूरी सूचित की गई है।
2. मैं यह पत्र उपरोक्त परियोजना में किए गए टीए/परामर्शदाता व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान के लिए अनुरोध करने हेतु लिख रहा हूँ। लेन-देन सलाहकार/परामर्शदाता(नाम) जिन्हें कुल टीए व्यय रुपये पर दिनांक के पत्राचार के माध्यम से नियुक्त किया गया था, इन्होंने मूल्यांकन समिति द्वारा यथाअनुमोदित स्तर के लिए उपलब्धि प्राप्त कर ली है। विधिवत रूप से प्रमाणित उपलब्धि दस्तावेज़ आपके सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है। हम प्राप्त उपलब्धि के अनुसाररुपये के व्यय राशि (राशि शब्दों में) जारी करने का अनुरोध करते हैं। (पीएसए के बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराया जाए)

बैंक खाते का ब्यौरा जिसमें प्रतिपूर्ति राशि भेजने का अनुरोध किया गया है:

खाते का नाम	बैंक का नाम जिसमें खाता है	खाता सं.	आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएफएससी कोड
-------------	----------------------------	----------	-------------------------------

परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण के प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम मुहर सहित

दिनांक

पीएसए द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (उस उपलब्धि के अनुसार जिसके लिए धन की मांग की गई है):

- क. पूर्व-व्यवहार्यता का पूरा विवरण प्रदान करने और दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता है हैं। यह इंगित करना चाहिए कि क्या पूर्व-व्यवहार्यता घर में या बाहरी सलाहकार के माध्यम से की गई थी।
- ख. निम्नलिखित विवरण बताते हुए पीएसए से प्रमाण पत्र:-
 - कि पूर्व व्यवहार्यता/टीए लागत के लिए दावा की गई लागत का विवरण सही और उचित है,
 - लागत वास्तव में केवल इस परियोजना पर परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा वहन की गई है।

- दावा की गई लागत परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण के अपने स्टाफ द्वारा वहन नहीं की गई है।
- टीए के चयन का तरीका खरीद की पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से / डीईए के पैनल में शामिल टीए की सूची के माध्यम से / किसी अन्य केंद्रीय मंत्रालय / विभाग / राज्य सरकार के पैनल में शामिल टीए की सूची के माध्यम से / नामांकन के आधार पर जीएफआर के लागू नियम के अनुसार है। (जो लागू न हो उसे काट दें)

ग. नियुक्ति के टीओआर की प्रति। टीए के साथ समझौते की प्रति।

घ. हासिल की गयी उपलब्धि का पूरा विवरण।

ङ. यदि आरएफक्यू/आरएफपी/डीसीए तैयार किया जाता है तो उसकी एक प्रति सॉफ्ट कॉपी और भौतिक प्रति में।

च. प्रासंगिक उपलब्धि के लिए भुगतान के मामले में हस्ताक्षरित रियायत समझौते की प्रति का अनुरोध किया जाता है।

छ. क्या टीए के ऑनबोर्डिंग के प्रासंगिक विवरण डीईए पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं

ज. अब तक आईआईपीडीएफ योजना के तहत परियोजना पर पहले किए गए संवितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि आईआईपीडीएफ योजना के तहत वितरित की गई सभी राशियों को टीए को अंतरित कर दिया गया है।

झ. टीए के ऑनबोर्डिंग के बाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के मामले में, प्राप्त बोलियों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान किया जा सकता है:-

क्र.सं.	टीए बोलीदाता का नाम	वित्तीय उद्धरण प्राप्त	विजेता बोलीदाता	परियोजना की पूरी हुई और शेष उपलब्धियां
1.				
2.				
3.				

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Infrastructure Finance Secretariat)

(INFRASTRUCTURE SUPPORT AND DEVELOPMENT DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2022

No. 1/2/2021-PPP.—With the approval of the Competent Authority, the Central Government has notified a Scheme for Financial Support for Project Development Expenses of PPP Projects – ‘IIPDF Scheme’ (India Infrastructure Project Development Fund Scheme).

B. PURUSHARTHA, Jt. Secy. (ISD)

IIPDF SCHEME

1. Introduction

- 1.1 Provision of quality infrastructure is critical to attain a higher growth trajectory for the economy on a sustained basis. While stepping up public investments in infrastructure, the Government has been actively engaged in developing an appropriate policy framework for private investment

in infrastructure projects and simultaneously keeping adequate checks and balances through transparency, competition and regulation. Consequently, Public Private Partnerships (PPPs) are being encouraged for execution and operation of infrastructure projects. In addition to leveraging public capital to attract private capital and undertaking a larger shelf of infrastructure projects, PPPs bring in the advantages of private sector expertise and cost reducing technologies as well as efficiencies in operation and maintenance.

- 1.2 Towards this end, the Union Finance Minister in the Budget Speech for 2007-08 announced in the Parliament, the setting up of a Revolving Fund with a corpus Rs.100 crore to quicken the process of project preparation. Accordingly, the corpus fund titled “India Infrastructure Project Development Fund” (IIPDF) was created in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India with an initial corpus of Rs. 100 crore for supporting the development of Public Private Partnership (PPP) projects that can be offered to the private sector.
- 1.3 Infrastructure is also one of the pillars of the Atma Nirbhar Bharat. Thus, to promote rapid Infra Development in the nation, it is necessary to give a fillip to Project Sponsoring Authorities for creating a pipeline of projects to be taken up on PPP mode.
- 1.4 Hence, the Union Finance Minister in the Budget Speech for 2022-23 announced that for financing the infrastructure needs, the stepping-up of public investment will need to be complemented by private capital at a significant scale –“*Measures will be taken to enhance financial viability of projects including PPP, with technical and knowledge assistance from multi-lateral agencies. Enhancing financial viability shall also be obtained by adopting global best practices, innovative ways of financing, and balanced risk allocation*”.
- 1.5 PPP is an ever-evolving process where relationship between the public and private sectors alters from time to time. There are a number of legal, social, economic, political and administrative issues that has a bearing on the success of a PPP in infrastructure and hence their development requires an enabling eco-system involving support through proactive planning, policy formulation and regulatory measures.
- 1.6 The transactions involved in implementing PPP projects are complex and critical. The high initial investments, transfer of public assets to the private sector partner for the concession period, the need to balance the divergent needs of the commercial private interests with the objectives of inclusive growth underline the criticality of project structuring. In order to make the projects commercially viable, often, Government viability funding support may also be required. To achieve economically optimum gains from private participation in infrastructure projects, fair allocation of risks amongst the private and Government partners and balancing of gains to both the parties is crucial. Due diligence is also essential given the substantial contingent liability that could devolve on the State in such projects.
- 1.7 The Project Sponsoring Authorities (PSA) of PPP Projects need expert financial, legal, and technical advice for formulating project documents necessary for award and implementation of projects in an efficient, transparent and fair manner and closing out the transactions. The role of Transaction Adviser "TAs" (consultants) is critical since the success of a PPP project depends on a well-structured project, which is financially viable. The tasks in a PPP Project include - developing a revenue model, reviewing the cost estimates based on the Feasibility Report, assisting the Sponsoring Authority in the bidding process and finally closing the transaction successfully. The consultants are required to collect, compile and analyze the financial data relating to all costs and revenues, and help in the identification and allocation of project risks in an efficient and economic manner.
- 1.8 An important aspect of TA is that the consultants clearly explain to the PSA the financial impact of the project on government's resources - direct as well as contingent - and the optimal structure for financing and operation of the project besides participating in meetings and conferences with bidders and advising and assisting the PSA in resolving the diverse commercial issues that may arise from time to time.
- 1.9 The procurement costs of transaction advisors are significant and often pose a burden on the limited budget of the Project Sponsoring Authority.

- 1.10 Accordingly, the features of existing India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF), are enhanced and the fund is restructured as a Central Sector Scheme with total outlay of Rs.150 Crore for a period of 3 years from 2022-23 to 2024-25.

2. The purpose of the IIPDF

- 2.1 The Department of Economic Affairs (DEA) has identified IIPDF Scheme as a mechanism through which Project Sponsoring Authority will be able to source funding to cover the PPP transaction costs, thereby reducing the impact of costs related to procurement of TAs on their budgets. From Government of India's perspective, the IIPDF Scheme will increase the quality and quantity of PPP projects that are processed through the Central or States' project pipeline.
- 2.2 Funding under the IIPDF Scheme is available to the Project Sponsoring Authorities for PPP projects for the purpose of meeting the project development costs which may include the expenses incurred by the Project Sponsoring Authority in respect of feasibility studies, environment impact studies, financial structuring, legal reviews and development of project documentation, including concession agreement, commercial assessment studies (including traffic studies, demand assessment, capacity to pay assessment), grading of projects etc. required for achieving Technical Close of such projects, on individual or turnkey basis, but would not include expenses incurred by the Project Sponsoring Authority on its own staff. The funding under IIPDF Scheme can be availed to finance the cost of consultants and transaction advisors on a PPP project.

3. Funding under the IIPDF Scheme

- 3.1 Funding under IIPDF Scheme can be for a maximum amount of Rs.5 Crore for a single proposal (Project TA/Seminar/Workshop/Professional Service Expenses, etc.). This funding shall be inclusive of any tax implications thereon and the total amount of funding under IIPDF Scheme, including taxes, if any, thereon, shall not exceed Rs.5 Crore. Any funding requirement over and above Rs.5 Crore may be borne by the Project Sponsoring Authority itself.
- 3.2 Under IIPDF Scheme, the cost of consultants/transaction advisors of a PPP project can be funded, where Consultants/TAs are appointed through a transparent system of procurement including from the list of empaneled TAs of DEA or from the list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department or State Government or on nomination basis, in accordance with the applicable GFR Rules. But it will not include expenses incurred by the Project Sponsoring Authority on its own staff.
- 3.3 Additionally, costs incurred for any Seminar/Workshop/Infra Tech Challenge etc. organized by DEA for the promotion of PPPs can also be funded under IIPDF Scheme. Further, DEA may also use the funding under IIPDF Scheme for engaging Consultants/TAs for specific assignments of professional services including providing support to States/UTs. A maximum of 20% of the yearly budget as well as total allocation for the Scheme is earmarked for this purpose.
- 3.4 It is well recognized that all such funding under the IIPDF Scheme may not result into a successful PPP project as the success of a PPP project depends on various factors. Therefore, the funding under IIPDF Scheme shall not be recovered. However, the Guidelines shall provide for a mechanism to deter PSAs from availing funding under IIPDF Scheme and not utilising it for the intended purpose or not taking forward the PPP process without cogent reasons.

4. The IIPDF's organizational structure – Competent Authority for Approval

- 4.1 The IIPDF Scheme shall be administered by the Approval Committee (AC). The composition of the Approval Committee is as under:
- Joint Secretary ISD, DEA - Chairperson
 - Representative of NITI Aayog,
 - Deputy Secretary/Director (PIU), DEA – Member Secretary
- 4.2 The Approval Committee shall consider and approve funding from IIPDF Scheme as detailed in para 3 ante.

- 4.3 The Private Investment Unit (PIU) of the Department of Economic Affairs, Government of India will provide support functions to the Approval Committee to examine the applications received for assistance under IIPDF Scheme.

5. **Appointment of Consultants/TAs**

- 5.1 The Consultants/TAs shall be appointed by the PSA through a transparent system of procurement, including from the list of empaneled TAs of DEA or from the list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department or State Government or on nomination basis, in accordance with the applicable GFRs.

6. **Disbursements under the IIPDF Scheme**

- 6.1 Once the proposal is approved for funding by the competent authority, disbursements from time to time shall be approved at the level of JS, ISD.
- 6.2 The disbursements for Consultant/TA cost shall be made to the PSA upon request received from the PSA for onward transmission to the TAs, based on milestones achieved as under:

Payment Milestone	Payment as a percentage of TA bid amount subject to overall Funding approved under IIPDF Scheme or Rs.5 Crore, whichever is less
Submission of Inception Report to the PSA	10%
Submission of Feasibility Report to the PSA	10%
Submission of DPR to the PSA	15%
Floating of RfP by the PSA	15%
Completion of Bid evaluation stage and issue of LOA by the PSA	25%
Signing of Concession Agreement and Uploading of all relevant documents of portal of TA (in case the TA is empaneled) – Technical Close	25%
Additional Incentive In case the project was originally planned with a grant component but achieved the technical close (signing of Concession Agreement) with a premium. Disbursement shall be along with the last leg of disbursement.	5%

- 6.3 The Approval Committee may consider disbursement milestones in variation to the above based on specific request of the Project Sponsoring Authority.
- 6.4 Disbursements for further/successive stages shall be made upon submission of Utilisation Certificate of the previous disbursements, by the PSA.
- 6.5 If for any reason, the project is terminated at any stage of the PPP procurement process, then the disbursement shall be made only till the achieved milestones and no further disbursements shall be made.

7. **Guidelines or IIPDF Scheme**

- 7.1 DEA shall from time to time issue appropriate guidelines for implementation of the IIPDF Scheme.

8. **Amendment to the Scheme and Guidelines**

- 8.1 The Scheme and Guidelines of IIPDF may be amended on the recommendations of the Approval Committee with the approval of Secretary, Economic Affairs.

Guidelines for India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) Scheme**1. Applicability**

- 1.1 The Central Government has notified the IIPDF Scheme. These Guidelines are to be read with the IIPDF Scheme.
- 1.2 Project Development Expenses (PDEs) for any project covered under the definition of PPP given in the Guidelines for Formulation, Appraisal and Recommendation of Central Sector PPP Projects, can be posed for funding under the IIPDF.
- 1.3 The project proposal may be posed by Central/State Government Ministries/Departments, Public Sector Enterprises (PSEs), Statutory Authorities or other entities under their administrative control, hereinafter referred as Project Sponsoring Authorities or PSAs.
- 1.4 Project proposal may be from any of the sectors covered under the harmonized Master List of Infrastructure sub sectors and sectors covered under VGF Scheme, notified by DEA from time to time.
- 1.5 Project proposal may be submitted at any stage of engagement of TAs.

2. Definitions

- 2.1. **PDEs** – Project Development Expenses may include the expenses incurred by the PSA with respect to feasibility studies, environment impact studies, financial structuring, legal reviews and development of project documentation, including concession agreement, commercial assessment studies (including traffic studies, demand assessment, capacity to pay assessment), grading of projects etc. required for achieving Technical Close of such projects, on individual or turnkey basis, etc. but would not include expenses incurred by the PSA on its own staff.
- 2.2. **Transaction Advisers** - Consultants hired through a transparent system of procurement by the sponsoring authorities to assist them in designing the project and/or providing technical, financial and legal input for the project design, and providing advice for the management of the process of procuring the private sector partner for the PPP project. These also include Transaction Advisers selected from the panel of Transaction Advisers of DEA or from the list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department or State Government or on nomination basis in accordance with the applicable GFRs.
- 2.3. All other terms used in these Guidelines shall have the generic meaning assigned to them in the 'Definitions' given as part of the Guidelines for Formulation, Appraisal and Recommendation of Central Sector Public Private Partnership Projects, except, where specifically defined otherwise in any Schemes/Bid Documents/Statutes/Regulations or in these Guidelines.

3. Institutional Structure

The Institutional Structure for administration of the IIPDF Scheme shall be the Approval Committee (AC) as laid down in the IIPDF Scheme. The Approval Committee may define its procedure as well as approve any formats etc. required to be submitted by the applicants for funding under the Scheme.

4. Mandatory Components of a project proposal for funding of PDEs

- 4.1 The funding is used for meeting out the cost (PDEs) of consultants/transaction advisors for a PPP project.
- 4.2 The decision of the Approval Committee regarding the eligibility of a project as a PPP project, shall be final.
- 4.3 The TAs shall be appointed by the PSA through a transparent system of procurement, including from the list of empaneled TAs of DEA or from the list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department or State Government or on nomination basis in accordance with the applicable GFRs.
- 4.4 DEA will have all rights of usage of the project documents developed through funding under the IIPDF Scheme.

5. Project Identification & onboarding of TAs

- 5.1 The responsibility of Project Identification and on boarding of Consultants/TAs including ensuring the reasonability of cost, is that of the PSA.

6. IIPDF Mechanism & Approval of Funding by the Approval Committee (AC)

- 6.1 Undertaking pre-feasibility study of the project is the responsibility of PSA. To seek project development funding from the IIPDF Scheme, the PSA will apply to the Approval Committee (AC) in DEA through the Memorandum for Consideration (Annexure – I to these guidelines). Annexure – II only provides guidance to the PSAs for undertaking a pre-feasibility study and need not be submitted with the proposal.
- 6.2 Proposals seeking funding under the IIPDF Scheme shall be considered and approved by the Approval Committee.
- 6.3 The PIU in DEA shall serve as the secretariat of the AC and shall convene a meeting of the AC for consideration of project proposal preferably within 1 month of the receipt of project proposal.
- 6.4 The AC may either grant approval to funding with/without any conditions or may ask the PSA to revise and resubmit the proposal for consideration of the Approval Committee.
- 6.5 In all cases, the decision to fund or not fund the project development expenses will be at the discretion of the AC.
- 6.6 Funding under IIPDF shall be upto a maximum amount of Rs.5 Crore for a single project proposal (Project TA). Any funding requirement over and above Rs.5 Crore may be undertaken by the PSA itself. Further:
 - 6.6.1 In case TA is onboarded through an open competitive bidding, or through list of empaneled TAs of DEA or through list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department, then, funding under IIPDF will be up to the full cost of the TAs subject to a cap of Rs. 5 Crore,
 - 6.6.2 In case TA is selected through nomination basis by the PSA in accordance with PSA specific Rules and Regulation, and as per applicable GFRs, funding shall be 50% of total TA cost or up to Rs.5 Cr, whichever is less.
- 6.7 Whether the project development expenses are sought to be funded in piece-meal (separately for stages of pre-feasibility, feasibility, RFP preparation and floating, etc.) or in one go, the total quantum of funding under this Scheme for a single project shall not exceed Rs. 5 Crore.
- 6.8 The PSA shall seek funding of PDEs under this Scheme considering the complexity and size of the project. The PSA shall always limit the demand for funding of the PDEs within reasonable limits.
- 6.9 The final release of the PDEs shall be subject to the funding approved by the AC or the actual PDE cost as determined through bidding or Rs.5 Crore, whichever is less.

7. Other Funding from IIPDF

- 7.1 For promoting Innovation in Infrastructure, conducting Seminars, Workshops for promoting PPPs, infra tech challenges, funding of infratech project proposals, etc., may be undertaken on a case-to-case basis through the funds available under this scheme.
- 7.2 Further, DEA may also use the funding under IIPDF Scheme for engaging Consultants/TAs for specific assignments of professional services including providing support to States/UTs.
- 7.3 The Funding shall be upto a maximum of Rs. 5 Crore for the Seminar/Workshop/Professional Services expenses, etc. for a single instance.
- 7.4 A maximum of 20% of the yearly budget as well as 20% of the total outlay for the Scheme is earmarked for such Trainings/ Seminar/Workshop/Professional Service Expenses, etc.
- 7.5 All such funding shall be approved at the level of Approval Committee.

8. Disbursements under IIPDF

- 8.1 The IIPDF will provide financial assistance once an application by the PSA has been approved by the AC and conditions as precedent to funding have been fulfilled.

- 8.2 The approved funding shall be released with the approval of JS, ISD.
- 8.3 The PDEs (TA Cost) shall be disbursed to the PSA upon submission of request for release of funds by the PSA in the prescribed format (Annexure – III) in accordance with the milestones defined in the Scheme or as approved by the AC, as the case may be.
- 8.4 The proposal for funding under IIPDF Scheme can be posed by the PSA at any stage of project development. However, there shall be no retroactive financing of the costs already incurred by the PSA.
- 8.5 In case the funding is sought before on-boarding of TAs, then AC would approve the funding subject to the following:
 - 8.5.1 Funding would be given subject to the estimated cost as approved by the AC, or the actual cost as discovered through a transparent mechanism or Rs.5 Crore, whichever is less.
 - 8.5.2 If the PSA decides to stop the project because of negative pre-feasibility report, only the pre-feasibility cost-component, if any, of the approved TA cost shall be disbursed. In such a situation, no further disbursements other than the pre-feasibility cost-component, if any, shall be made.
- 8.6 In case funding is sought at any stage after onboarding of TAs, then disbursement will commence according to the project milestones already achieved and to be achieved, as decided by the AC, subject to 8.4 above.
- 8.7 An additional incentive of 5% of the funding approved under this Scheme, will be paid to the PSAs for onward transmission to the TAs in case the project was originally planned with a grant component but achieved the technical close with a premium. This shall be disbursed along with the last leg of disbursement.
- 8.8 Disbursements for further/successive stages shall be made upon submission of Utilisation Certificate of the previous disbursements clearly certifying release of the amount to the Consultant/TA, by the PSA. For the last disbursement, the PSA needs to promptly submit the Utilisation Certificate in a similar manner.
- 8.9 The disbursement mechanism under the Scheme shall be in compliance with the instructions of Government of India, as issued from time to time.
- 8.10 If need arises, the funding may be provided based on an appropriate formula to be determined by the AC, that balances need across sectors and locations in a manner that would broad-base the sectoral and locational coverage and avoid pre-empting of funds by a few large projects.
- 8.11 If for any reason, the project is terminated at any stage of the PPP procurement process, then the disbursement shall be made only till the achieved milestones and no further disbursements shall be made.
- 8.12 It shall be the responsibility of the PSA to release the funds to the TAs in a timely manner. DEA shall not be responsible/party to any dispute between the PSA and the TA.

9. Nature of Project Development Expense Funding

- 9.1 Project development funding, will be in the form of grant subsidy and shall not be recovered.
- 9.2 The amount of funding through IIPDF will not form part of the Total Project Cost of the project, i.e., it shall not be recovered from the successful bidder of the project (the concessionaire).
- 9.3 However, to ensure that PSAs do not arbitrarily terminate the process of PPPs, without cogent reasons, after receiving assistance under this Scheme, following mechanism is put in place:
 - 9.3.1 A PSA may not have access to further funding under the IIPDF Scheme if:
 - 9.3.1.1 PPP project process is not continued further in spite of favourable/encouraging feasibility study,
 - 9.3.1.2 Bidding is not concluded/LOA not issued after floating RFP and receiving market response and valid bids,

9.3.1.3 Concession Agreement is not executed even after issue of Letter of Award,

9.3.2 Further, in case of overall three such instances of any PSAs of a State/UT/Central Ministry/Department becoming ineligible for funding under IIPDF, such State/UT/Central Ministry/Department and all its PSAs shall become ineligible to seek funding under IIPDF Scheme for a period of one year.

10. **Monitoring**

10.1 The PSA shall be responsible for regular monitoring of the project development and compliance with the milestones as committed in the MFC and as approved by the AC.

10.2 PSA shall be ultimately responsible for complying with due process of GFR and their financial rules and any other statutory or regulatory requirements for the entire process and ensuring financial propriety. Cost discovery of the TA shall be the responsibility of the PSA in accordance with applicable GFRs.

10.3 PSA may also be required to update project specific data on appropriate website as informed by DEA from time to time.

11. **Relaxation of Guidelines**

11.1 The AC may relax any of the provisions of these Guidelines on a case to case basis depending on project specific requirements on the basis of specific requests received from the PSAs and merits of the case.

Annexure - I

Memorandum for Consideration (MFC[#]) Application Form (Under Guidelines for IIPDF Scheme)

Sl. No.	Particulars	Response
I.	Project Name	
II.	Purpose of Assistance (TA/Consultant/PPP Cell etc.)	
III.	NIP ID	
IV.	Sector*	
V.	Project Sponsoring Authority	
VI.	Location/ (State/UT/District/Town)	
VII.	Need for the Project	
VIII.	Brief Project Description	
IX.	Proposed PPP structure^s for Project Implementation BOT (and its variants) Annuity (and its variants), OMDA (and its variants), Lease Management, InvIT, etc.	
X.	Proposed Milestones for the TAs along with Timelines and payment percentages (if in deviation to the milestones given in the IIPDF Scheme)	
XI.	Likely impact(s) of the project:	
XII.	Total Estimated Project Development Expenses/Actual TA costs (if TA already on boarded)	
XIII.	Components of Estimated/Actual Cost	

Sl. No.	Particulars	Response
XIV.	IIPDF contribution sought	
XV.	Enclosures 1. Pre-feasibility details (if any) 2. If TA is already onboarded then following additional information/ documents need to be submitted along with the application: a. Whether onboarded through open market or through empaneled TAs or through nomination basis etc. b. Copy of TOR of TA appointment. Copy of agreement with the TA. c. Complete details of the milestones achieved. d. Certificate from PSA that it has onboarded the TA as per its applicable GFRs. 3. Any other	
XVI.	Outcome of Previous TA, if funded by DEA	

* Sector and Sub Sector should be as per the Harmonised Master List of Infrastructure Sub Sectors as notified by DEA from time to time.

\$ This list is not exhaustive and any other mode of PPP project implementation may be considered by the Approval Committee.

PSA may clearly indicate if any information is not available at the time of submission of proposal.

Signatures and Name of the Authorised signatory of the PSA

Date:

Annexure - II

Suggestive Table of Contents of the Preliminary/Pre-feasibility Report

(not required to be submitted along with the proposal – only for guidance purpose)

1. Introduction
2. Existing Project Scenario (including need for rehabilitation, upgradation, improvement and/or incremental investments—to bring out the need of the project)
3. Project Proposal (covering broad project concept and components, block cost estimates, revenue structures etc.)
4. Preliminary Project Assessment
 - 4.1 Technical Feasibility
 - 4.2 Environment and Social acceptability
 - 4.3 Financial & Commercial viability
 - 4.4 Legal framework
 - 4.5 Risks (during development, construction and operation/implementation)
 - 4.6 Contractual & Implementation structures.
5. Project Development Activities
 - 5.1 Project development cycle

- 5.2 Time lines
- 5.3 Surveys and investigations
- 5.4 Technical/Environmental & Social/Financial /Legal consultants, their scope of work
- 5.5 Transaction Advisors, their scope of work
- 5.6 Marketing
- 5.7 Procurement process
- 5.8 Others (Please specify)
6. Funding Requirements for Project Development
 - 6.1 Budget for Project Development expenses
 - 6.2 Drawdown (indicative quarterly budget and estimated milestone linked payment for each activity)
7. Recommendations, if any.

Annexure - III

Format of request from Project Sponsoring Authority for release of funds to the PSA under IIPDF Scheme

Date

Name of PSA

Address

Dear Sir,

1. Kindly refer to your letter No. dt conveying the approval of Approval Committee in its meeting No... dated..... under the India Infrastructure Project Development Fund (IIPDF) Scheme, a Project Development Expenses of Rs. to (name of PSA) for the project located at (give details of the project such as sector, location, brief particulars such as area / capacity etc.)
2. I am writing this letter to request for the reimbursement/payment of the **TA/ Consultant Cost** incurred in the aforesaid project. The Transaction Advisor/ Consultant.....(name) who was appointed vide communication date with total TA Cost of Rs..... has achieved milestone for stageas approved by the Appraisal Committee. The milestone document duly authenticated is enclosed for your ready reference. We request releasing a sum of Rs.....(*amount in words*) as per the achieved milestone. (Details of Bank account of PSA to be provided)

Bank Account Details in which reimbursement is requested:

Name of account holder	Name of Bank with address	Account Number	RTGS/NEFT/IFSC Code
------------------------	---------------------------	----------------	---------------------

**Signatures and Name of the Authorised signatory of the
Project Sponsoring Authority with stamp**

Date

List of documents to be submitted by PSA (as per the milestone for which funding is sought):

- a. Complete details of Pre-Feasibility need to be provided and documents enclosed. This should indicate if the pre-feasibility was done in-house or through an external consultant.
- b. Certificate from PSA stating the following particulars:-
 - that the particulars of cost claimed for Prefeasibility/TA Cost are True and Fair,

- the costs have been actually incurred by the Project Sponsoring Authority on this project only.
 - the claimed cost is not incurred on own staff of Project Sponsoring Authority.
 - The mode of selection of TA is through a transparent system of procurement/ through the list of empaneled TAs of DEA/ through list of empaneled TAs of any other Central Ministry/Department/ State Government/ on nomination basis, in accordance with the applicable GFR Rules (strike off whichever is not applicable)
- c. Copy of TOR of appointment. Copy of agreement with the TA.
- d. Complete details of the milestones achieved.
- e. If RfQ/RfP/DCA are prepared then a copy of the same in soft copy and physical copy.
- f. Copy of signed Concession Agreement in case of payment is requested for the relevant milestone.
- g. Whether relevant details of onboarding of TA uploaded on DEA Portal
- h. Utilisation Certificate of the disbursements made earlier on the project under IIPDF Scheme till date, clearly specifying that all amounts disbursed under IIPDF Scheme have been transferred to the TA.
- i. In case of submission of proposal post onboarding of TAs, details of bids received may be provided in the following format: -

Sl. No.	Name of TA Bidder	Financial Quotes received	Winning Bidder	Project Milestones completed and remaining
1.				
2.				
3.				